

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जनवरी 2024-पौष 27, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्र. CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (05).- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (34), दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को ऐसे विखंडन के पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, विखंडित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्र. CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (05), दिनांक 17 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना शर्मा, उपसचिव।

Bhopal, the 17th January 2024

No. CT-8-0009-2023-Sec-1-V(CT) (05).— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds in this department's notification No. CT-8-0009-2023-Sec-1-V (CT) (34), dated the 1st September, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January 2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.